

FORM NO -III

फ़र्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

कलक्टर,

मुकाम

नागौर

प्रार्थी

अर्जुनराम पुत्र श्री हंसाराम जाति बनाम
जाट निवासी शिवपुरा (रायधनु)
तहसील व जिला नागौर

अप्रार्थी

तहसीलदार, नागौर।

किस्म मुकदमा राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 35 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख जारी हुए
11.07.2018	प्रार्थी ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार नागौर के यहां विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2016 बजानवान हेगी बनाम अर्जुनराम को अन्वय सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अधिनस्थ न्यायालय से पैरावाइज टिप्पणी तलब हो तथा अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 13.08.2018 को पेश हो।	
13 ⁸ / ₁₈	वकूलाय उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय आज प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है अवकाश पर है। अतः इत्तया होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक...14.8.18...को पेश हो।	
16 ⁸ / ₁₈	वकूलाय उपस्थित। श्रीमान् पी. ओ. साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.8.18...को पेश हो।	
20 ⁸ / ₁₈	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय तहसीलदार नागौर के पीठासीन अधिकारी श्री शंकरसिंह राठौड़ कार्यवाहक तहसीलदार नागौर के विरुद्ध पेश किया है। श्री शंकरसिंह राठौड़ कार्यवाहक तहसीलदार नागौर के स्थान पर श्री अवधेश मीणा आई.ए.एस. (प्रशिक्ष) का पदस्थापन कर दिया जाने से अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। परन्तु वकील प्रार्थी का कथन रहा है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना विधिक प्रकिया अपनाये कार्यवाही की जा रही है। अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के प्रकरण में विधिक प्रकिया अपनाते हुये अग्रिम कार्यवाही करें। आदेशिका की प्रति तहसीलदार नागौर को पालनार्थ गिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल हुनार होकर नम्बर से कम हो।	

(कुमर पाल गौतम)

कलक्टर, नागौर

कलक्टर, नागौर